मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय

:: संशोधित आदेश ::

भोपाल, दिनांक 23-09-2022

क्रमांक एफ-5-6/2017/42-1:: राज्य शासन एतद् द्वारा "**मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना**" के विभागीय एकजाई आदेश 05.06.2018 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

2. संशोधित आदेश दिनांक 04.02.2020 को निरस्त करते हुये, विभागीय संशोधित एकजाई आदेश दिनांक 05.06.2018 की कण्डिका 2.2 के उपरांत निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाकर सत्र 2019-20 से प्रभावशील किया जाता है:-

"परन्तु, ऐसे विद्यार्थियों को जिन्हें योजना में एक बार लाभ प्राप्त हो जाने के पश्चात् यथा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन आय की सीमा रूपये 6.00 लाख से अधिक होने पर भी पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक योजना के लाभ की पात्रता होगी।"

3. संशोधित एकजाई आदेश दिनांक 05.06.2018 की कण्डिका 2.3 के पश्चात् निम्नानुसार कंडिका-2.4 स्थापित की जाती है:-

"लेटरल एन्ट्री" के माध्यम से इंजीनियरिंग/फार्मेसी पाठ्यक्रम के दिवतीय वर्ष में प्रदेश की केन्द्रीयकृत कॉमन मेरिट सूची में प्रथम 15 प्रतिशत में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एवं 10वीं/12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 70 प्रतिशत या सीबीएससी/आईसीएसई की परीक्षा 85 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी यदि आदेश की कण्डिका 3.1 में शामिल संस्थाओं के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों एवं कंडिका 3.5 में शामिल संस्थाओं के फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते है, ऐसे विद्यार्थी योजना हेतु पात्र होगें। ऐसे विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जेईई मेन्स रैंक की बाध्यता नहीं होगी।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(डॉ.एम.आर.धाकड़)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

पृ.क्रमांक एफ-5-6/2017/42-1 भोपाल दिनांक 23-09-2022

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/पशुपालन विभाग।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., बेसमेंट विन्ध्याचल भवन, भोपाल को अनुरोध है कि संशोधन अनुसार पोर्टल में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही करें।
8. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
9. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
10. आयुक्त, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. आयुक्त, कोष एवं लेखा भोपाल।
12. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
13. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग